भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2228

दिनांक 2 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
कुल निर्यात

2228 श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में, आज की तारीख तक, भारत का कुल निर्यात अपने उच्चतम स्तर को पार कर गया है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा देश के विशाल घरेलू बाजार को ईष्टतम स्तर तक विकसित करने और विश्व भर में इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने और उद्योगपतियों तथा व्यापारियों द्वारा पूरे विश्व में अपने कारोबार का प्रचार करने के लिए नई योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): वर्ष 2022–23 में भारत का समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुएं और सेवाएं) 776.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो अब तक के कुल निर्यात के मामले में सबसे अधिक है।

सरकार ने भारत के निर्यात को बढ़ावा देने और अपने विशाल घरेलू बाज़ार को इष्टतम स्तर तक विकसित करने और विश्व भर में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैंः

(i) नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को लॉन्च की गई है और यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।

(ii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अड़चनों को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने और अपने विशाल घरेलू बाज़ार को इष्टतम स्तर तक विकसित करने और विश्व भर में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में लांच किया गया है।

(iii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 31.03.2024 तक बढ़ाया गया है।

(iv) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

(v) श्रम उन्मुख क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से लागू की गई है।

(vi) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। 15.12.2022 से, फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहे और इस्पात के सामान जैसे शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों को आरओडीटीईपी के तहत कवर किया गया है। इसी तरह, 432 टैरिफ लाइनों में विसंगतियों को दूर कर दिया गया है और संशोधित दरों को 16.01.2023 से लागू कर दिया गया है।

(vii) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(viii) विशिष्ट कार्य योजनाओं का अनुसरण करके सेवा निर्यात को बढ़ावा देने और उसमें विविधता लाने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की गई है।

(ix) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

(x) विदेश में स्थित वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डो/प्राधिकरणों और उद्योग संघों द्वारा नियमित रुप से निर्यात निष्पादन की निगरानी की जाती है और समय–समय पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

***